कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)

ccfkanker3@gmail.com (07868) 222014 (07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./ 2023/ 1946 कांकेर, दिनांक/13/06/2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर।

विषय :– **Diversion of Forest land for non-forest Purpose under Forest Conservation Act 1980 Proposed Jio Digital Private Ltd. Raipur Laying of Optical Fibre Cable(OFC) line along with Row (Road Corridor) Kanker Division under Chhattisgarh Sanchar Kranti Yojana (SKY) Area 2.119 ha. regarding**
Online Registration No.FP/CG/OFC/87496/2020

संदर्भ :– 1. आपका पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध–2/115–882–ए/1279 दिनांक 26.5.2023
2. वन मण्डलाधिकारी कांकेर के पृ.क्रमांक/मा.चि./2023/1484 दिनांक 7.6.2023

----📖----

विषयांतर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आवेदनकर्ता महाप्रबंधक (कार्पो, अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा कांकेर वनमंडल अंतर्गत डोमपदर–मानपुर, कांकेर–डोमपदर, पुरियारा–विश्रामपुरी, चाराम–नरहरपुर, आमाबेड़ा–कोरर, कोरर–मालगांव तथा कांकेर– पुरियारा सड़क किनारे राईट ऑफ–वे अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 0.502 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 0.242 हे., नारंगी वन भूमि रकबा 1.016 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.359 हे कुल **रकबा 2.119 हे**. में गैर वानिकी कार्य के उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत तैयार कर प्रेषित प्रस्ताव में पाई गई कमियॉ ऑनलाईन 02 बिन्दुओं एवं ऑफलाईन 06 बिन्दुओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देश के परिपालन में संदर्भित पत्र (अ.क्र.2) के माध्यम से वनमंडलाधिकारी कांकेर द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

आपत्ति बिन्दु		पालन प्रतिवेदन
ऑनलाईन त्रुटियॉ		
1	Form A Part-II point no. 15 में अपलोड प्रपत्र–3 के बिन्दु क्रमांक 6 से 12 में स्पष्ट अभिमत नहीं दिया गया है। सुधार कर पुनः अपलोड करें।	प्रपत्र–3 सुधार उपरांत वेबपार्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
2	Form A Part-II point no. 16 में अपलोड भाग–2 बिन्दु क्रमांक 10 (iv) में प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय राशि रू. 510 लाख का उल्लेख किया गया है। बिन्दु क्रमांक 10 (i,ii,iii and v) निरंक लेख किया गया है। स्थिति स्पष्ट करें। सुधार उपरांत पुनः जानकारी अपलोड करें।	प्रकरण में प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्कता नहीं है। भाग–2 सुधार उपरांत Form A Part-II point No.13 Additional Information Details में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

आपत्ति बिन्दु		पालन प्रतिवेदन
ऑफलाईन त्रुटियॉ		
1	प्रस्ताव के कंडिका क्रमांक–3 वन क्षेत्र का विवरण के पृष्ठ क्रमांक 13 से 16 में परिक्षेत्र का नाम, कक्ष एवं रकबा दिया गया तथा परिक्षेत्रवार योग किया गया है, किन्तु आरक्षित वन भूमि, संरक्षित वन भूमि, नारंगी क्षेत्र, राजस्व वन भूमि का पृथक–पृथक योग नहीं किया गया है।	कण्डिका क्रमांक–3 में आरक्षित/संरक्षित/नारंगी एवं राजस्व वन भूमि का पृथक–पृथक योग कर प्रस्ताव में संलग्न करते हुए वेबसाईट पर अपलोड किया गया है।
2	प्रस्ताव के कंडिका क्रमांक–8 पृ.क्र.43 प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप में केवल आवेदक संस्थान द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें वनमंडलाधिकारी का हस्ताक्षर भी आवश्यक है। वनमंडलाधिकारी का हस्ताक्षर कराया जावें।	प्रस्ताव के कंडिका क्रमांक–8 पृ.क्र.43 प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप में वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।
3	प्रस्ताव के कंडिका क्रमांक –10 पृ.क्र.45 में निरंक लेख किया गया है जो मान्य योग्य नहीं है। संक्षिप्त टीप दिया जावें।	प्रस्ताव के कंडिका क्रमांक–10 में संक्षिप्त टीप दिया गया है, जो प्रस्ताव में संलग्न है।
4	प्रपत्र–3 : वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रस्ताव में आवेदित वन भूमि के विवरण को छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक/ एफ–5–05/2022/10–2 दिनांक 29.03.2022 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करें। प्रपत्र–3 के बिन्दु क्रमांक 6 से 12 में स्पष्ट अभिमत नहीं दिया गया है। स्पष्ट अभिमत दिया जावें।	प्रपत्र–3 वनमंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदित वन भूमि का विवरण तथा बिन्दु क्रमांक 6से 12 अभिमत सहित प्रस्ताव में संलग्न है।
5	Form A Part-II संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा जाना है के बिन्दु क्रमांक 10 (iv) में प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय राशि रू. 510 लाख का उल्लेख किया गया है। बिन्दु क्रमांक 10 (i,ii,iii and v) निरंक लेख किया गया है स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव समाहित करें।	प्रकरण में प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्कता नहीं है। भाग–2 सुधार उपरांत Form A Part-II point No.13 Additional Information Details में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न है।
6	कंडिका क्रमांक–13 संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र में (पेज क्रमांक ..... से .... तक) लेख किया गया है। पृ.क्र.अंकित नहीं किया गया है। अंकित किया जावें।	संबंधित ग्राम पंचायत का पृष्ठांकित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

अतः प्रकरण के प्रस्ताव में उठाई गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 03–03 प्रतियों में अनुशंसा सहित आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– प्रस्ताव 03–03 प्रतियों में।

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

पृ.क्रमांक/मा.चि./2023/ 1947 कांकेर, दिनांक/ 13/06/2023

प्रतिलिपि :–

1. **वनमण्डलाधिकारी कांकेर वनमंडल वनमंडल** को उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. **आवेदनकर्ता, महाप्रबंधक, (कॉर्पो.अफेयर्स) जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड, चौथी मंजिल, ऑफिस नं. 401–405 अबुंजा मॉल रायपुर छ.ग.** को सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक,
कांकेर वृत्त, कांकेर